न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बरेली।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2008/2026

CNR N0.UPBR01006679-2026

छोटा उर्फ राशिद पुत्र इब्राहिम,

निवासी मीरपुर वाहनपुर, थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या 156/2026
धारा–307 बी0एन0एस0
थाना हाफिजगंज, जिला बरेली।

दिनांक 05.06.2026

1. थाना बहेड़ी, जिला बरेली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 156/2026, धारा–307 बी0एन0एस0 में आवेदक/अभियुक्त **छोटा उर्फ राशिद** की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी नामजद मुकदमा नही है एवं न ही मौके से गिरफ्तार है एवं न ही उसके कब्जे से वादी मुकदमा का कोई भैसा बरामद हुआ है। घटना का कोई जनता का स्वतंत्र साक्षी नही है। आवेदक की पुलिस द्वारा कोई सी0डी0आर0 अथवा घटना के सम्बन्ध में कोई फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी प्रस्तुत नही की गयी है। आवेदक को पुलिस द्वारा जिला कारागार, बरेली से तलब करके उक्त मुकदमें में झूँठा फॅसा दिया है। आवेदक मुकदमें में नामजद अभियुक्त मानसिंह को जानता नही है। आवेदक दिनांक 19.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक सजायाफ्ता नहीं है। पुलिस द्वारा एक साथ कई अज्ञात के मुकदमों में झूँठा फॅसा दिया है।

3. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा दुस्साहसिक घटना कारित की गयी है। वादी की भैस चुराने का प्रयास किया गया और उक्त प्रयास में आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया। अपराध गैर जमानती है एवं 10 वर्ष तक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

4. मैंने उभय पक्षों के तर्कों को विस्तार से सुना तथा समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी गंगाराम द्वारा इस आशय की थाना हाफिजगंज, बरेली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी कि उसके घर के अंदर बनी पशुशाला में पशु बंधे थे। दिनांक 22.03.2026 की रात करीब 11.30 पर तीन लोग उसकी पशुशाला में घुस आये और पशुशाला में बंधी एक भैस व दो भैसा को खोलकर गांव के उत्तर नदी साईड ले जाने लगे, जिसपर खटपट की आवाज पर वह जाग गया तो उसने पीछा किया, जिसपर उसने एक व्यक्ति को पकड़ लिया तो उसके साथियों ने फायर कर दिया, जिसपर उसने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। वे लोग उसके दो भैसों को वही छोड़कर एक भैस को चुराकर वहां से भाग गये, जिनमें से उसने एक व्यक्ति को पहचान लिया है, जो मानसिंह है। उसके द्वारा 112 पुलिस को सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुॅची तो वे लोग 112 पुलिस के साथ मानसिंह के घर पर करीब रात 12 बजे पहुॅचे तो उक्त मानसिंह अपने घर पर मौजूद

मिला। उसने पुलिस के साथ मिलकर मानसिंह के घर पर व आस पास के अन्य घरों में भैस की तलाश की, परन्तु नही मिली।

6. घटना में किसी को भी कोई चोट आग्नेयास्त्र की कारित होना अभिकथित नहीं किया गया है। भैस बरामदगी का भी कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। आवेदक दिनांक 19.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

7. उपरोक्त समस्त तथ्य, परिस्थिति पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त यह न्यायालय इस मत की है कि बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये आवेदक की जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक **छोटा उर्फ राशिद** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक को 40,000/रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या 6400/2025 श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0 प्र0 राज्य व एक अन्य के मामले में पारित निर्णय दिनॉकित 12.08.2025 के अनुपालन में** समान धनराशि के एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर, अभियुक्त की पहचान व पते के सत्यापन के उपरान्त उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एस.एम.डब्लू.पी.(क्रिमनल) नं0–4 सन् 2021 में पारित आदेश दिनांकितः 01.02.2023 के अनुपालन में जारी पत्र सं0 448/ एसएलएसए–06/2021 (Shubh/haider) दिनांकितः फरवरी 13, 2023 के क्रम में जमानत आदेश की साफ्ट कापी सम्बन्धित जेल अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e-prison software में करें और यदि सात दिन के अंदर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।

आदेश की एक प्रति रिमाण्ड/विचारण पत्रावली में रखी जाये।

(प्रदीप कुमार सिंह–II)
आई.डी.यू.पी.1905
सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

दिनांकः 05.06.2026

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.06.05 17:27:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court